प्रेस नोट दिनाँक-14.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 13.09.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मऊ में 09 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 02 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(i). उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह व उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त श्रीकांत केवट पुत्र शंकरलाल केवट निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह

(ii). उ0नि0 श्री असलम खां थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बुढ़िवा उर्फ बोडी पुत्र शिवराज निवासी सिंहपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री असलम खां थाना रैपुरा
2. उ0नि0 हरेन्द्रनाथ
3. आरक्षी सत्येन्द्र

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामिया, मफरुर, गैंगेस्टर, हिस्ट्रीसीटर अपराधियों की घरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी तथा उनकी टीम द्वारा 5000/-, 5000/- रुपये के इनामी गैंगेस्टर एक्ट के 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

आज दिनाँक 14.09.2020 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी तथा उनकी टीम द्वारा मिचकुरियान तिराहा स्थित गेट के पास से मु0अ0सं0 81/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मानिकपुर के वांछित अभियुक्त 1. हेमानायक उर्फ बूचा नायक पुत्र स्व0 शिवलाल 2. अशोक नायक पुत्र हेमानायक उर्फ बूचा नायक 3. कुटी उर्फ राजेश नायक पुत्र रामा नायक उर्फ तुनकू 4. रमेश पुत्र विष्णु बेगा निवासीगण मैकी थाना सोहापुर जनपद सहडोल म0प्र0 को रात्रि 02 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तों द्वारा थाना मानिकपुर एवं मारकुण्डी क्षेत्र में गौतस्करी के साथ गैवध किया जाता था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 5000/-, 5000/- हजार रुपये के इनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 08/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मानिकपुर
2. मु0अ0सं0 23/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मानिकपुर
3. मु0अ0सं0 81/2020 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना मानिकपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार
3. मुख्य आरक्षी रामनरेश सिंह
4. आरक्षी योगेन्द्र कुमार
5. आरक्षी शिवबहादुर सिंह

(4). दिनाँक 14.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के नेतृत्व में अग्निशमन की टीमों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सेनेटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना राजापुर अन्तर्गत हॉट स्पॉट क्षेत्र थाना भरतकूप परिसर एवं न्यायालय परिसर को सेनेटाइज किया गया। सेनेटाइजेशन के कार्य में 05 फायर कर्मियों ने 01 फायर टेंडर की सहायता से सम्पादित किया गया।